

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका सिंचाई प्रमंडल, गुआबारी से निकलने वाली सिरहा कैनल, पताही कैनल एवं हरनरैना कैनल तथा उनसे निकलने वाली उपवितरणी कैनलों पर स्थित अधिकांश पुराने पुल ध्वस्त हो चुके हैं, जिसके कारण किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है;</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तिरहुत नहर प्रमंडल, ढाका के अधीन गोआबारी वीयर के दायें शीर्ष नियामक से ढाका मुख्य नहर निःसृत है। ढाका मुख्य नहर के अंतिम छोर से पताही वितरणी तथा सिरहा एवं हरनरैना उपवितरणी निकलती है। वर्तमान में पुराने गोआवारी वीयर के स्थान पर नये गेटेड आर0सी0सी0 वीयर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने के पश्चात सभी नहर प्रणालियों में सिंचाई हेतु पर्याप्त जलश्राव उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत नहर प्रणाली पर अवस्थित पुलों का पारापेट वाल तथा डेक स्लैब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसके मरम्मत हेतु प्राक्कलन/प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उक्त सेतु के मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।</p>
<p>2. क्या यह बात सही है कि त्रिवेणी कैनल से निकलने वाली JBC कैनल, जो ढाका विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है, उसके निर्माण हेतु किसानों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, परंतु आज तक उससे एक बूंद पानी उपलब्ध नहीं हुआ है।</p>	<p>ढाका विधान सभा क्षेत्र को जोड़नी वाली नहर JBC कैनल न होकर घोड़ासहन शाखा नहर (GBC) है, जो त्रिवेणी शाखा नहर से निःसृत न होकर दोन शाखा नहर के अंतिम छोर से निकलती है। घोड़ासहन शाखा नहर का रूपांकित जलश्राव 1022 क्यूसेक है, जिसके विरुद्ध विगत खरीफ अवधि 2025 में 1022 क्यूसेक जलश्राव प्रवाहित कराकर नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया है। विगत खरीफ सिंचाई अवधि में निर्धारित लक्ष्य 13583 हे0 के विरुद्ध 13583 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।</p>
<p>3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार JBC कैनल के साथ साथ सभी कैनलों की उड़ाही एवं पूर्ण संचालन हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>घोड़ासहन शाखा नहर तथा इससे निःसृत वितरणी प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा लागू नहर संचालन तथा रख-रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कराने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी को निदेशित किया गया है।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मो0)-05-85/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/512 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मो0)-05-85/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मो0)-05-85/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मो0)-05-85/2026-

1379

पटना, दिनांक- 25/03/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

25/3/26